डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (UP)

पत्रांकः लो0अ0वि0/कु0स0का0/2021/726 दिनांकः 14.04.2021

अधिसूचना

कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी उच्च शिक्षा अनुभाग –3, के पत्र संख्याः 1053/सत्तर–3–2021–08(20)/2020,दिनांकः 13 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में आज दिनांकः 14 अप्रैल, 2021 को अपरान्ह् 03:30 बजे सन्त कबीर सभागार में महत्वपूर्ण आपात बैठक आहूत की गयी।

बैठक में अधिष्ठाता छात्र कल्याण, संकायाध्यक्षों, निदेशकों, कुलानुशासक, विभागाध्यक्षों, समन्वयकों, वार्डेन छात्रावासों, अधीक्षक छात्रावासों, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, उपकुलसचिव, प्रोग्रामर, चिकित्साधिकारी (विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र) इत्यादि ने प्रतिभाग किया। बैठक में कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर गहन विचार–विमर्श किया गया।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों को कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, संचालित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1 कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांकः 16 अप्रैल, 2021 से 02 मई, 2021 तक विश्वविद्यालय परिसर में समस्त शैक्षणिक कार्य भौतिक रूप से बन्द करने की संस्तुति की गयी है तथा 16 अप्रैल, 2021 से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही पठन–पाठन का कार्य संचालित किया जायेगा।

2 इस अवधि में आवश्यक सेवायें यथा विश्वविद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युत एवं जल आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छताकर्मी एवं माली कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहकर कार्य करते रहेंगे।

3 विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ ऑनलाइन मोड में संचालित की जायेंगी। समस्त शिक्षकगण, विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन कक्षायें लेंगे। कोई भी शिक्षक बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।

4 विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण इस अवधि में सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में उपस्थिति होकर, कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को सम्पादित करते रहेंगे।

5 विश्वविद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं से अनुरोध है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से 48 घण्टों के भीतर अपने घरों को सुरक्षित प्रस्थान कर जायें। कुलानुशासक/समस्त छात्रावासों के वार्डेन एवं अधीक्षक छात्रावासों में रहने वाले छात्र–छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को इससे अवगत भी कराते रहेंगे। इस दौरान छात्र–छात्रायें, शिक्षकों द्वारा संचालित ऑनलाइन माध्यम से

पठन–पाठन का कार्य करते रहें। परीक्षा या भौतिक रूप से कक्षा संचालन सम्बन्धित अद्यतन सूचना से सभी छात्र–छात्राओं को समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

6 यदि विश्वविद्यालयीय में किसी कार्य हेतु कोई आगन्तुक विश्वविद्यालय आना चाहता है तो उसे 72 घण्टे पूर्व का RT-PCR की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। तभी वे विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। अन्यथा ऑनलाइन माध्यम से अपना कार्य करा सकते हैं।

7 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं के साथ–साथ शैक्षणिक क्रिया कलापों के सम्बन्ध में उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और इस सन्दर्भ में अपने सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को सूचित करते हुए विश्वविद्यालय के गाइडलाइन को स्वीकार करेंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 जिलाधिकारी, अयोध्या को उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1053/सत्तर–3–2021–08(20)/2020, दिनांकः 13 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

3 समस्त वार्डेन/अधीक्षक छात्रावास, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 मुख्य कुलानुशासक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

6 प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय की लॉगइन आइडी पर अपलोड करने का कष्ट करें।

7 पत्रावली।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 1053/सत्तर–3–2021–08(20)/2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 13 अप्रैल, 2021**

विषयः–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–955/सत्तर–3–2021–08 (20)/2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 एवं उक्त के साथ संलग्न गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्या–600/2021–सीएक्स–3, दिनांक 26, मार्च, 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माह अप्रैल में प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि कोविड–19 के संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अस्तु प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का तथा गृह गोपन अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 26–03–2021 में उल्लिखित टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल/टीकाकरण एवं कोविड–19 एस0ओ0पी0 मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन के सम्बन्ध में यथावस्यक सम्बन्धित जिलाधिकारी को संस्तुति करेगें तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या– 1053 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– कुलपतिगण समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 955 /सत्तर–3–2021–08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 01 अप्रैल, 2021**

विषयः–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–891/सत्तर–3–2021–08 (20)/2020, दिनांक 23, मार्च, 2021 के अनुक्रम में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्या–600/2021–सीएक्स–3, दिनांक 26, मार्च, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माह अप्रैल में प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन विषयक निर्णय, सम्बन्धित कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिये जायेगे। यदि स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कुलपति एवं जिलाधिकारी द्वारा किसी शिक्षण संस्थान को किसी अवधि के लिए भौतिक रूप से बन्द करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह निम्न शर्तों के अधीन होगाः–

1. स्थानीय स्तर पर निर्धारित अवधि में कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किए जायेंगे।
2. जिन संस्थानों में परीक्षायें/प्रयोगात्मक परीक्षायें गतिमान हैं, वहां पर निर्धारित परीक्षायें/प्रयोगात्मक परीक्षायें यथावत संचालित की जायेंगी। समय–समय पर निर्गत कोविड–19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रकिया) मास्क का अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी बनाये रखना, परिसर को सेनेटाइजेशन एवं अन्य दिशा–निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–
   (1) कोविड–19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथो की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जायेंगे।
   (2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व पूर्ण रूपेण सेनेटाईज किया जाए।
   (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ–साथ

––––2

हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) परिसर में अन्दर–बाहर आने–जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह् बनाया जाय।

(5) बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

(6) संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।

(7) क्लास रूम में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(8) शिक्षकों/छात्रों/कार्मिकों के लिए रूमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आंख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाय।

(9) सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क,हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(10) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय। छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।

(11) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(12) दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र–छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।

(13) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।

3– उक्त के अतिरिक्त गृह (गोपन) अनुभाग–3 के संलग्न पत्र दिनांक 26.032021 में उल्लिखित टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल/टीकाकरण का एवं उसके साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.03.2021 को निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

——3

Aneeta Rai G.O. PC-1

संख्या– 955 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
8– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या–600/2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 30/03/2021

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2021

वि० स० (YDT)

विषयः– कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A), दिनांक 23.03.2021 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

संख्याः 5632 /VIP-PSHED/2020

महोदय,

कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A), दिनांक 23.03.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

30/03/2021
(मोनिका एस० गर्ग)
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2. अवगत कराना हैं कि कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 05 महीनों तक लगातार गिरावट आने के उपरान्त अब कुछ सप्ताहों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पुनः सामान्य स्थिति बहाल किये जाने के लिए महामारी के संचरण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के साथ सभी आर्थिक और अन्य गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से इस शर्त के साथ खोला गया कि निर्धारित मानक संचलन प्रकिया (एस0ओ0पी0) का सावधानीपूर्वक पालन किया जाये। उक्त गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित रखे जाने के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल को सख्ती से लागू करने, कोविड–19 के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने एवं टीकाकरण अभियान को तेजी से बढ़ाये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है।

3008/NS(YDT)/2021
उपसचिव (H)

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड–19 के प्रसार पर प्रभावी पूर्ण नियंत्रण हेतु दिनांक 01.04.2021 से 30.04.2021 तक के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रभावी करते हुए उनका अनुपालन कराये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है :–

30/03/2021
(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

<u>टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल को प्रभावी रूप से लागू किया जाना</u>

टेस्ट

1. कोविड–19 के जो परीक्षण किए जा रहे हैं, वे सभी जिलों में समान रूप से किए जाएं और जिन जनपदों में अधिक संख्या के मामलों की रिपोर्टिंग पायी जाये, उनमें अधिक संख्या में पर्याप्त परीक्षण किये जाये। आरटी–पीसीआर परीक्षणों को वेहतर प्रयासों के साथ बढ़ाकर उनका अनुपात 70 प्रतिशत या उससे अधिक किया जाये।

SO-3

ट्रैक

2. गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाये गये नये कोविड पॉजटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाय एवं उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाये। कन्टेनमेन्ट जोन का सीमांकन किया जाय और रोकथाम के निर्धारित उपायों को इन क्षेत्रों में लागू किया जाय।

30.3.21
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. संवेदनशील एवं ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेन्ट जोन का प्रभावी सीमांकन, वायरस को फैलने से रोकने एवं उसको नियंत्रित करने का प्रभावी उपाय है। कन्टेनमेन्ट जोन का सीमांकन, जिला प्रशासन द्वारा सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची वेवसाइट पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाये। साथ ही इस सूची को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से भी नियमित रूप से साझा किया जाये।

4. चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोन के भीतर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रोकथाम के उपायों को निम्नानुसार सुनिश्चित करना होगा :–

(1) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाये।

(2) आपातकालीन चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सिवाय कन्टेनमेन्ट जोन के व उसके बाहर के लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाये।

(3) इस उद्देश्य के लिए सर्विलांस टीमों द्वारा घर–घर गहन निगरानी की जाये।

(4) निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार परीक्षण किया जाये।

(5) कोविड से ग्रसित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हुए लोगों की एक सूची तैयार की जाये और उनके ट्रैकिंग, पहचान के साथ उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाय (सम्पर्क में आए 80 प्रतिशत व्यक्तियों को 72 घण्टों में पता लगाकर सूचीबद्ध किया जाय)।

(6) बफर जोन्स में ILI/SARI मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों अथवा फीवर क्लीनिक के माध्यम से की जाये।

(7) स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कन्टेनमेन्ट मानकों का कड़ाई से पालन किया जाय।

ट्रीट

5. कोविड–19 मरीजों का त्वरित आइसोलेशन उपचार की सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाय (होम आइसोलेशन की गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन किया जाय)।

6. चिकित्सीय सुविधाओं (Clinical interventions) को निर्देशानुसार उपलब्ध कराया जाये। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों की क्षमता निर्माण को सभी स्तरों पर एक सतत् अभ्यास के तहत आयोजित किया जाये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित नैदानिक प्रबन्धन प्रोटोकाल को स्पष्ट रूप से समझा एवं तद्नुसार प्रबन्धित किया गया है।

7. राज्य की सम्बन्धित एजेन्सियां इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि कोविड हेतु समर्पित स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक (औषधालय सहित) की उपलब्धता पर्याप्त हो।

8. संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संक्रमण उपचार सुविधाओं (रोकथाम एवं नियंत्रण) का पालन किया जाय ।

कोविड–19 के संबंध में अपेक्षित आचरण

9. कोविड–19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त आवश्यक उपाय लागू किये जायें तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निरोधक उपाय है एवं इस मूल आवश्यकता को लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाय।

11. भीड़–भाड़ वाले स्थलों विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी SOP का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

12. वायुयान, ट्रेन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत SOP का सख्ती से अनुपालन किया जाय। बस, नाव अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. The National directives for COVID-19 Management जो संलग्नक–। के रूप में संलग्न है, का कड़ाई से पालन किया जाये।

विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्गत एस0ओ0पी0 का पालन–

14. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर लगभग सभी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियाँ चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी हैं। इन गतिविधियों में मुख्यतः यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राए, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्टस, शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योगा केन्द्र एवं जिम, प्रदर्शनी, सभा एवं समागम आदि है तथा इनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक (SOP) तय किये गये हैं ।

15. कोविड–19 के प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सम्बन्धित विभाग समय–समय पर अद्यतन होने वाली (SOP) को कड़ाई से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगें।

टीकाकरण

16. भारत सरकार ने कोविड–19 के विरूद्ध दुनिया का सबसे विशाल टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में कोविड–19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (NEGVAC) जनसंख्या समूहों, खरीद एवं सूची प्रबंधन, वैक्सीन चयन वितरण एवं ट्रैकिंग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। NEGVAC की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत एवं अंतिम रूप दिया गया है।

17. यद्यपि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, किन्तु टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिदृश्य में कोविड–19 श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक सुनियोजित तरीके से टीकारण की गति को तीव्र किया जाये।

स्थानीय प्रतिबन्ध

18. स्थिति के आंकलन के आधार पर जनपद/क्षेत्र , शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

19. अन्तर्राज्यीय (Interstate) एवं राज्य के अन्दर (Intrastate) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा

20. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रूग्णता (co-morbidity) अर्थात् 01 से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को आवश्यक सावधानी वरतने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग

21. आरोग्य सेतु ऐप को सुसंगत मोबाइल फोन में प्रयोग में लाया जाए। आरोग्य सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

22. समस्त अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा–144 सीआरपीसी–1973, का आवश्यकतानुसार प्रयोग करेंगें।

23. उपरोक्त दिशा–निर्देशों का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा–51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा–188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। दण्डात्मक प्रावधानों के उद्धरण संलग्नक–2 में दिये गये हैं।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

26.03.21

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

Annexure I

NATIONAL DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.

2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet *(2 gaz ka doori)* in public places.

   Shops will ensure physical distancing among customers.

3. Spitting in public places will be punishable with fine as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.

Additional directives for Work Places

4. **Work from Home (WfH):** As far as possible the practice of WfH should be followed.

5. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.

6. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash or sanitizer will be made at all entry points and of hand wash or sanitizer at exit points and common areas.

7. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured including between shifts.

8. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers and other staff.

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Sections 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

(a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being in custody of, or dominion over any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his

knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section—

(a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by—

(a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be, or

(b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

***